# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

**संकल्प**

सं0सं0:–3/अ0प्र0–1–76/2020 980 /पटना, दिनांक :– 27.1.25

श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सुपौल ने उक्त प्रमंडल अन्तर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा आई0डी0 सं0–67411, Bid id 304526 के निविदा में अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या–2018/48 का State SBD की कंडिका 16.1.d में निहित प्रावधान के अनुरूप एकरारनामा संपादित होने से पूर्व सत्यापन नहीं कराया गया तथा एकारारनामा को निष्पादित किया गया, जिसकी जाँच में प्रयुक्त बैंक गारंटी फर्जी पाया गया। उक्त आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–878 अनु0 दिनांक 29.04.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 1845 अनु0 दिनांक 23.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का समेकित निष्कर्ष प्राप्त हुआ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री सिंह को भेजते हुए विभागीय पत्रांक 987 अनु0 दिनांक 10.04.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

3. श्री सिंह के पत्रांक 788 अनु0 दिनांक 25.04.2024 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 2948 दिनांक 28.11.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया।

4. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री सिंह के पत्रांक 01 दिनांक 13.12.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 (2) के तहत पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित करते हुये संसूचित दंड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया, जिसमे श्री सिंह द्वारा निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

(i) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा आई0डी0 सं0–67411, Bid id 304526 के निविदा में अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या–2018/48 के सत्यापन हेतु वरीय शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, लालपुर शाखा, राँची को Bank Guarantee के Verification हेतु पत्र लिखे जाने एवं उक्त पत्र पर Verified and Found correct का Bank का Seal लगे होने के उपरांत ही संवेदक से एकरारनामा किया गया। मामले के संज्ञान मे आने के उपरांत संवेदक के विरूद्ध सुपौल थाने मे प्राथमिकि संख्या –716/2019 दर्ज कराया गया। साथ हीं एकरानामा को विखंडित किया गया एवं योजना से संबंधित SD एवं

Additional Performance Guarantee की राशि 12,40,446/– जप्त कर ली गयी, जिसमे सरकार को कोई वित्तिय हानि का सामना नहीं करना पड़ा है।

(ii) विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत संचालित की गयी थी, परंतु संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं विभागीय समीक्षा नियमों के आलोक मे नहीं किया गया है। विभागीय कार्यवाही में नियम–17 (14) का अनुपालन नहीं किया गया है। संसूचित दंड से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत दिये गये प्रोन्नति पर कूप्रभाव पड़ा है। साथ ही सेवानिवृति की तिथि 31.10.2025 होने के आलोक मे अधिरोपित दंड सेवानिवृति के पूर्व विमुक्त नहीं हो सकता है, जो उनके लिये वृहद दंड हो जायेगा।

5. श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन मे उल्लेखित तथ्यों एवं मामले से संबंधित संचिका मे संधारित कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है की प्रमंडलीय पत्रांक 1869 दिनांक 18.12.2018 द्वारा वरीय शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, लालपुर शाखा राँची को पत्र लिखे जाने एवं उक्त पत्र पर Verified and Found correct का Bank का seal लगे होने के उपरांत इनके द्वारा संवेदक से एकरारनामा किया गया। मामले के संज्ञान मे आने के उपरांत इनके द्वारा संवेदक के विरूद्व सुपौल थाने मे प्राथमिकी संख्या –716/2019 दर्ज कराया गया। साथ हीं एकरानामा को विखंडित किया गया एवं योजना से संबंधित Additional Performance Guarantee की राशि 12,40,446/– जप्त कर ली गयी। उक्त के अतिरिक्त श्री सिंह के सेवानिवृति की तिथि 31.10.2025 होने के आलोक मे संकल्प ज्ञापांक 2948 दिनांक 28.11.2024 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से रोके गये वेतन वृद्दि इनकी सेवानिवृति के पूर्व विमुक्त नहीं हो सकेगी।

6. श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन मे उल्लेखित तथ्यों के आलोक मे मामले पर पुनर्विचार करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया। मामले की समग्र समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्व संकल्प ज्ञापांक 2948 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा अधिरोपित शास्ति को संशोधित करते हुये श्री सिंह को भविष्य मे सचेत रहने की हिदायत देते हुये प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक मे श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के विरूद्व संकल्प ज्ञापांक 2948 दिनांक 28.11.2024 द्वारा अधिरोपित शास्ति "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्दि पर रोक" के स्थान पर भविष्य मे सचेत रहने की हिदायत दी जाती है।

**आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक मे प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 28/01/25

(डॉ फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

# बिहार सरकार
## ग्रामीण कार्य विभाग



ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 980 /पटना, दिनांक :– 27-1-25

**प्रतिलिपि** :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 980 /पटना, दिनांक :– 27-1-25

**प्रतिलिपि** :–माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, मर्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/25

संयुक्त सचिव